न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थी/वादी–

1. जगदीश पुत्र दयालराम
   जाति–नायक निवासी–कसनाऊ तहसील जायल

प्रतिवादीगण –

1. ओमप्रकाश पुत्र दयालराम
2. पतासी पत्नी दयालराम
3. कालूराम पुत्र भबूताराम
4. थानाराम पुत्र भबूताराम
5. बंशीराम पुत्र किसनाराम
6. मुन्नाराम पुत्र किसनाराम
7. मुनाराम पुत्र किसनाराम
8. अमराराम पुत्र किसनाराम
9. बिशनलाल पुत्र घीसाराम
10. गीता पुत्री घीसाराम
11. रामप्यारी पत्नी घीसाराम
12. बाबुलाल पुत्र खींवाराम
    जाति–नायक, निवासी–तरनाऊ, तहसील जायल जिला–नागौर।
13. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 11 सीविल प्रक्रिया संहिता) दिनांक 06.09.2020
वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा प्रार्थी(प्रतिवादीगण) की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, अप्रार्थी की ओर से।

मुकदमा नं. 129/2017 दिनांक : 16/06/2024

– : : आदेश : :–

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 11 सीपीसी का वाद संख्या 216/1998 के निर्णय व वाद की प्रमाणित नकले के पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी(वादी) को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया किया कि वादग्रस्त खेताय का बंटवारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है, उन खेताय का बंटवाड़ा न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 216/1998 बअनुवान घीसाराम बनाम कालूराम वगैरह के तहत किया जाकर

16/06/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

घीसाराम के नाम खातेदारी दर्ज होने के बाद फौतगी नामान्तकरण से प्रतिवादी घासीराम के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। वादग्रस्त खेतायों के संबंध में निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा हो जाने से उक्त वाद पूर्व न्याय ''रेसजुडिकेटा '' के सिद्धान्त के तत बाधित होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में नहीं है तथा उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाना न्याय संगत है। अतः वादी के वाद को सव्यय खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी को आंशिक स्वीकार कर शेष पैराज में वर्णित अभिकथन गलत होना बताते हुये जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद संख्या 216/1998 में वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 के पिता को उक्त वाद में पक्षकार ही नही बनाया था जबकि वाद संख्या 216/1998 में वादी घीसाराम पुत्र रूपाराम ने मौजा कसनाऊ के खसरा नं. 44, 246 अपनी पुश्तेनी बढेर की होना बताया है। इसी प्रकार वाद संख्या 216/1998 में वादी घीसाराम ने मात्र अपने भाई शिवराज, भभूताराम के पुत्र कालूराम, थानाराम को ही पक्षकार बनाया था, जबकि रूपाराम के पांच पुत्र भभूताराम, किशनाराम, दयालराम, घीसाराम व खिंवाराम थे। वादी घीसाराम ने अपने सगे भाई दयालराम व किशनाराम को जानबुझकर पक्षकार ही नही बनाया, इसलिए वादी जगदीश के पिता दयालराम वाद में पक्षकार ही नही था तो वाद रेसजुडिकटा की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए वाद संख्या 129/2017 हाजा पेश करने का वादी को पुरा अधिकार है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थना के जवाब की प्रति वकील प्रार्थी का दिलाई गई। वकुलाय की सहमति पर प्रार्थना पत्र आदेश 11 सी.पी.सी. की बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य तथ्यों का पुनदोहरान करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त खेताय का बंटवारा माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 216/1998 बअनुवान घीसाराम बनाम कालूराम वगैरह के तहत किया गया जिसमें जमाबंदी के अनुसार जो खातेदार दर्ज थे उन्ही को ही पक्षकार बनाया गया। वाद संख्या 216/1998 में पारीत निर्णय/आदेश की पालना होकर खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है। जिसकी पुष्टि नकल निर्णय दिनांक 24.04.2000 से होती है। वादग्रस्त खेतायों के संबंध में निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा हो जाने से उक्त वाद पूर्व न्याय ''रेसजुडिकेटा'' के सिद्धान्त के तत बाधित होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

में नहीं है तथा उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। इस कारण से वर्तमान वाद अधीन धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हस्तगत को वाद अधीन धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट को सव्यय सहित खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के किये कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वाद संख्या 216/1998 में वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 के पिता को उक्त वाद में पक्षकार ही नही बनाया था जबकि रूपाराम के पांच पुत्र भभूताराम, किशनाराम, दयालराम, घीसाराम व खिंवाराम थे। वाद सख्या 216/1998 में वादी घीसाराम पुत्र रूपाराम ने मौजा कसनाऊ के खसरा नं. 44, 246 अपनी पुश्तेनी बढेर की होना बताया तथा वाद संख्या 216/1998 में वादी घीसाराम ने मात्र अपने भाई शिवराज, भभूताराम के पुत्र कालूराम, थानाराम को ही पक्षकार बनाया था, वादी घीसाराम ने अपने सगे भाई दयालराम व किशनाराम को जानबुझकर पक्षकार ही नही बनाया। जबकि खसरा नं. 246, 44 में वर्णित भूमि पुश्तैनी बढेर की थी। इसलिए उक्त बंटवारा पूर्ण बंटवारा नहीं है। अतः वादी पुन नया वाद पेश कर नये सिरे से बंटवारा करवाने का अधिकारी है, वाद रेसजुडिकटा की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पूर्व न्याय के सिद्धान्त अनुसार इस प्रकरण में लागु नहीं होता है, क्योंकि वाद संख्या 216/1998 का निर्णय मैरिट पर नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान वाद पत्र 129/2017 में संयोजित पक्षकारों को सुना जाकर मैरिट पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

बहस वकुलाय पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी के संलग्न दस्तोवज प्रमाणित प्रतिलिपि वाद संख्या 216/1998 अनुवान घीसाराम बनाम कालूराम वगैर निर्णय दिनांक 24.04.2000 का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने कथन किया है कि पूर्व वाद में वादी के पिता दयालराम व उनके भाई किसनाराम को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, जबकि खसरा नं. 246 , 44 में वर्णित भूमि पुश्तैनी बढेर की थी। इसलिए उक्त बंटवारा पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ है। यदि वादी का वाद पूर्व में वादी के पिता व अन्य को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था तत्समय वे स्वयं प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के जरिये पक्षकार संयोजित हो सकते थे तथा उक्त वाद संख्या 216/1998 में पारित निर्णय से असंतुष्ट थे तो उक्त निर्णय की

अपील सक्षम न्यायालय में की जा सकती थी। प्रार्थी (प्रतिवादीगण) द्वारा की दलीलों में बताया गया है कि तत्समय जमाबंदी में दर्ज खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया जाकर वाद पत्र पेश किया है तथा उक्त वाद पत्र संख्या 216/1998 को निर्णय/डिक्री किया जाकर निर्णय आदेश की पालना ही भी हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी की पुष्टि न्यायालय हाजा के बअनुवान वाद संख्या 216/1998 में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति जिसमें विवादग्रस्त खसरा नं. व वर्तमान वाद में विवादग्रस्त खसरा समान है। इसी प्रकार वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) का यह कथन कि तत्समय जमाबंदी में अंकित खातेदार को पक्षकार को संयोजित किया गया उचित प्रतीत होता है अर्थात "पूर्व न्याय" के सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत प्रकरण अर्थात वाद संख्या 129/2017 रेसज्यूडिकटा से बाधित होने से खारिज योग्य पाया है।

वकील वादी द्वारा प्रकरण हाजा 129/2017 तथा पूर्ववर्ती वाद संख्या 216/1998 में वर्णित समान खसरा के संबंध में प्रस्तुत वाद तथ्यों को छुपाकर पेश किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित एवं आदेश 11 सीपीसी विधि द्वारा वर्जित (Bard by law) है। अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 11 सीविल प्रक्रिया संहिता–1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद संख्या 129/2017 विधि द्वारा वर्जित एवं रेस ज्युडिकटा से बाधित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/06/2021 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

16/06/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर